वित्तीय स्वीकृति (2018-19)

संख्या-04/2018/एस0ई0-305/दस-2018-आ-7/2017

प्रेषक

दया शंकर सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,
कैलाशकुंज, फैजाबाद रोड, उ0प्र0,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल 2018

विषय& अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2018-19 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्ष-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-095-लेखा तथा खजाना निदेशालय-03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि क्रमश: रू0 1035.50 लाख (रू0 दस करोड पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/ निर्देशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

अनुदान संख्या-65

लेखाशीर्ष/मद

"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-
095-लेखा तथा खजाना निदेशालय-
03-आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि (लाख रूपये में)

मानक मद संख्या व मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जारी की जाने वाली धनराशि
1	2
01-वेतन	760.00
02- मजदूरी	0.50
03-मंहगाई भत्ता	76.00
04-यात्रा व्यय	6.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	44.00
07-मानदेय	0.50
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	8.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
14-मोटर गाड़ियों का का क्रय	-
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00
17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00
29-अनुरक्षण	10.00
42-अन्य व्यय	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ़टवेयर का क्रय	10.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00
49-चिकित्सा व्यय	18.00
51-वर्दी व्यय	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	55.00
योग	**1035.50**

(रूपये दस करोड पैतीस लाख पचास हजार मात्र)

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों व नवीनतम शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2004 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-2016/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां भी नियमों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति आवश्यक हो धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय
दया शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-04/2018/एस0ई0-305(1)/दस-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
दया शंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in